केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
Kendriya Vidyalaya Sangathan
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिहं मार्ग
18, Institutional Area Shaheed Jeet Singh Marg,
नई दिल्ली/New Delhi-110016
दूरभाष/Tele: 26858570
वेबसाइटWebsite: www.kvsangathan.nic.in

फा.1-1/2019/के.वि.सं.(मु.)/स्था.II

दिनांक: 14.06.2019

उपायुक्त/निदेशक,
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
क्षेत्रीय कार्यालय/क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान

अति-महत्वपूर्ण

विषय: वर्ष 2019 के लिए वार्षिक स्थानांतरण हेतु शैक्षिक कार्मिकों के वर्ग मे स्नातकोत्तर शिक्षक तक एवं गैर-शैक्षिक कार्मिकों के वर्ग मे सहायक अनुभाग अधिकारी के पद तक कार्यरत कार्मिको से ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन का आंमत्रण।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध मे केन्द्रीय विद्यालय संगठन एतदद्वारा वर्ष 2019 के वार्षिक स्थानांतरण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कार्मिको से कार्यक्रम अनुसार आवेदन पत्र आंमत्रित करता है। इस संबंध मे निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान मे रखना अतिआवश्यक है।

अ). <u>कार्मिकों के यूजर आई-डी एवं पासवर्ड जारी करना</u>

1. समस्त नियंत्रणाधिकारी अर्थात प्राचार्य/उपायुक्त/निदेशक एवं सहायक आयुक्त (स्थापना 2/3) सर्वप्रथम केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय की बेवसाइट kvsangathan.nic.in के मुख्यपृष्ठ पर **"KVS Online Transfer Application 2019"** के लिंक का उपयोग करते हुए 'Register' पर क्लिक करने के पश्चात पंजीकरण हेतु संबंधित स्थान पर अपने विवरण की प्रवृष्टि करेंगें। सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के पश्चात नियंत्रणाधिकारी को उनके द्वारा दिए गए ई-मेल आई.डी पर उनका नवीन पासवर्ड प्रेषित किया जाएगा। उक्त पासवर्ड प्राप्त करने के पश्चात नियंत्रणाधिकारी नवीनतम पासवर्ड के साथ स्थानांतरण पोर्टल पर लॉगिन कर सकते है। नियंत्रणाधिकारियों को अपने अधीन कार्यरत सभी कार्मिको के पासवर्ड जनरेट करने है इसके लिए उन्हे 'Add employee' पर क्लिक करने के पश्चात अपने विद्यालय / कार्यालय के कार्मिकों को एक-एक करके सूचीबद्ध करके पासवर्ड जनरेट करना होगा। सभी कार्मिको के लिए उनका व्यक्तिगत कर्मचारी कोड ही यूजर आई-डी होगा एवं पासवर्ड सभी कार्मिकों को उनके नियंत्रणाधिकारी द्वारा दिया जाएगा। यदि कार्मिक अपना पासवर्ड भूलता है तो ऐसी दशा मे उसे अपने नियंत्रणाधिकारी से पुनः पासवर्ड प्राप्त करना होगा।

2. केन्द्रीय विद्यालय सगंठन द्वारा एक ई-मेल के माध्यम से स्थानांतरण दिशानिर्देश 2018, वार्षिक स्थानांतरण 2019 का कार्यक्रम, ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन पत्र का प्रारूप एवं कार्मिकों के लिए एवं नियंत्रणाधिकारियों के उपयोग हेतु यूजर मेन्यूल्स प्रेषित किया जा रहा है। नियंत्रणाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने अधीन कार्यरत समस्त कार्मिकों के पासवर्ड जनरेट कर गोपनीय रूप से संबंधित कार्मिक को अनिवार्य रूप से सूचित करे।

ब). <u>ऑनलाईन स्थानांतरण आवेदन पत्रों को भरने की प्रक्रिया</u>

1. कार्मिक अपना ऑनलाईन स्थानांतरण आवेदन किसी भी स्थान से भरने के लिए स्वतंत्र है किंतु स्थानांतरण के लिए निर्धारित कार्यक्रम का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। कोई भी कार्मिक नियत तिथि के अनुसार अपना आवेदन पत्र प्रेषित नही कर सकता है। सभी कार्मिक एवं नियत्रणाधिकारी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व संगठन के स्थानांतरण दिशानिर्देश 2018 का यथोचित अध्ययन करें। प्रत्येक कार्मिक को ऑनलाईन स्थानांतरण आवेदन भरना अनिवार्य है किंत आवेदन

पत्र का भाग-सी केवल उन्ही कार्मिकों द्वारा भरा जाना है जो वर्ष 2019 मे स्थानातंरण हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र है और स्थानांतरण के इच्छुक है।

स). ऑनलाईन्न स्थानांतरण आवेदन पत्रों का नियंत्रणाधिकारियों द्वारा सत्यापन

1. नियंत्रणाधिकारियों द्वारा कार्मिको द्वारा ऑनलाईन जमा किए गए स्थानांतरण आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से ही आरंभ करनी चाहिए और इसके लिए निर्धारित अंतिम तिथि की प्रतिक्षा नही करनी चाहिए। नियंत्रणाधिकारी द्वारा स्थानांतरण आवेदन मे प्रत्येक प्रविष्टि की सावधानीपूर्वक अभिलेखों से मिलान करने के पश्चात जाँच करनी चाहिए और उसेक अनुसार ही सत्यापन करना आवश्यक है। नियंत्रणाधिकारी आवेदन पत्र के अंतिम भाग मे प्रदत अनिवार्य घोषणा पर सही (√) का निशान लगाकर उक्त प्रमाण पत्र को पूर्ण करे। यदि इसके उपरांत यह पाया गया कि नियंत्रणाधिकारी द्वारा आवेदनकर्ता को नियमानुसार देय लाभों से वंचित किया है अथवा गलत लाभ प्रदान किया गया है तो संपूर्ण दायित्व नियंत्रणाधिकारियों का होगा और दोषी पाए जाने की दशा मे ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध संगठन द्वारा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाई की जाएगी।

2. नियंत्रणाधिकारी द्वारा कार्मिको के ऑनलाईन आवेदन पत्रों का सत्यापन करने के उपरांत आवेदन पत्र की एक प्रति संबंधित कार्मिक को उसके व्यक्तिगत ई-मेल पर प्रेषित की जानी आवश्यक है ताकि कार्मिक को अपने आवेदन पत्र की वस्तुस्थिति की जानकारी हो। एक बार ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात स्थानांतरण आवेदन पत्रों मे किसी प्रकार का परिवर्तन केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) द्वारा स्वीकार नही किया जाएगा। कार्मिक एवं नियंत्रणाधिकारियों को आवेदन पत्र भरते समय व उसका सत्यापन करते समय अत्यधिक सतर्कता बरतना आवश्यक है।

3. किसी भी प्रकार के विवाद अथवा अन्य मुद्दों को नियंत्रणाधिकारियों द्वारा आवेदन पत्रों का सत्यापन करने से पूर्व ही सुलझा लेना आवश्यक है। प्रत्येक कार्मिक के स्थानांतरण अंक व विस्थापन अंको की गणना की सावधानी पूर्वक जाँच करना आवश्यक है। स्थानांतरण आवेदन का नियंत्रणाधिकारी द्वारा अनुमोदन होने के पश्चात किसी प्रकार का संपादन/संशोधन अनुमन्य नही है और आवेदन पत्र स्वतः Read-only format मे परिवर्तित हो जाएगा।

4. ऐसे कार्मिको के मामले मे जो कि या तो लंबी छुट्टी पर गए हो अथवा देश से बाहर हो और ऑनलाईन आवेदन भरने की स्थिति मे न हो, ऐसे **मामलो मे उनके नियंत्रणाधिकारी द्वारा स्थानांतरण आवेदन पत्र का भाग –ए एवं बी (अनिवार्य भाग) किंतु भाग – ए का पैरा 10 (ए), (बी), (सी) तथा 11 को छोडकर भरा जाएगा।**

5. ऑनलाईन स्थानांतरण आवेदन पत्रो के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र/स्वाउज प्रमाण पत्र/बच्चों की निशक्तता प्रमाण पत्र और कक्षा 10 व 12 की परीक्षा मे बच्चों के शामिल होने के परिणामस्वरूप विस्थापन से मुक्ति के संबंध मे अंडरटेकिंग को संलग्न करने की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। समस्त कार्मिकों से अपेक्षा है कि संबंधित सूचना आवेदन पत्र मे प्रासंगिक स्थान पर भरकर मूल प्रमाण पत्र संबंधित नियंत्रणाधिकारी को आवश्यक सत्यापन के लिए जमा करे। ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नही है।

6. कार्मिको की जानकारी के लिए संभावित रिक्तियाँ केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) की बेवसाईट व स्थानांतरण पोर्टल पर उपलब्ध की जाएगी। कार्मिको को यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त रिक्तियाँ केवल संभावित है। साधारणतः स्थानांतरण जारी होने वाले माह की पहली तारीख को उपलब्ध होने वाली रिक्तियाँ ही स्थानांतरण मे उपयोग की जाती है।

7. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय एक सहायक आयुक्त अथवा अन्य कोई अधिकारी को वार्षिक स्थानांतरण संबंधी कार्यो के सूचारू ढंग से सपन्न होने व समन्वय स्थापित करने के लिए नियुक्त करे। ऐसे अधिकारी का नाम/पद नाम/मोबाईल तथा ई-मेल आई-डी संभाग के समस्त केन्द्रीय विद्यालयो तथा संगठन (मु.) को आवश्यक सहयोग के लिए सूचित करे।

समस्त उपायुक्तों से आग्रह है कि वह वार्षिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया का दिन-प्रतिदिन के आधार पर निगरानी सुनिश्चित करे और यदि आवश्यक हो तो जरूरी दिशानिर्देश भी विद्यालयों को जारी करे।

स्थानांतरण पोर्टल मे लॉगि करने हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) की बेवसाईट www.kvsangathan.nic.in के मुख्यपृष्ठ पर लिंक उपलब्ध रहेगा। समस्त कार्मिको के लिए ऑनलाईन पोर्टल 25.06.2019 (मंगलवार) खुला रहेगा। वार्षिक स्थानांतरण 2019 के संबंध मे किसी भी प्रकार के पत्राचार के लिए kvsannualtransfer2019@gmail.com का उपयोग करें।

भवदीय,

सौरभ जैन

(सौरभ जैन)
अपर आयुक्त (प्रशासन)

संलग्नक:

1. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के स्थानांतरण दिशानिर्देश 2018
2. वार्षिक स्थानांतरण कार्यक्रम 2019
3. ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन पत्र का प्रारूप
4. प्राचार्य और कार्मिको के लिए यूजर मेन्यूल्स
5. विषय कोड एवं पोस्ट कोड सूची
6. जोन कोड, क्षेत्रीय कोड, स्टेशन कोड एवं विद्यालय कोड की सूची

प्रतिलिपि:

1. प्राचार्य, समस्त केन्द्रीय विद्यालयों को संबंधित क्षेत्रीय कार्योलयों के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई हेतु।.
2. महासचिव, KVPSS/ AIKVTA/ KEVINTSA को सूचनार्थ प्रेषित है।